



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 7, गुरुवार शाके 1941 अगस्त 29, 2019

Bhadra 7, Thursday, Saka 1941—August 29, 2019

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
आदेश

जयपुर, अगस्त 27, 2019

संख्या एफ.2(क)() लोका/जांच/डीएलबी/16/2185 :—श्रीमती बबीता चौहान सभापति नगर परिषद ब्यावर के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने की शिकायत के संबंध में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा अन्वेषण किया जाकर विभाग को प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदन में प्रथम दृष्ट्या अनियमितता होना पाया गया है। श्रीमती बबीता चौहान सभापति नगर परिषद ब्यावर के विरुद्ध लगाये गये आरोप काफी गंभीर प्रकृति के पाये जाने के कारण जो दुराचरण की श्रेणी में आने से, राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवायें जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु दिनांक 06.08.2019 को प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में न्यायिक जांच लम्बित है। उक्त न्यायिक जांच में श्रीमती बबीता चौहान सभापति नगर परिषद ब्यावर के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्रीमती बबीता चौहान सभापति नगर परिषद ब्यावर को अध्यक्षा एवं सदस्य के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

उज्जवल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग।

उज्जवल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

843

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।